

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)()डीएलबी/2019/5500

दिनांक: 13-4-2022

आदेश

निर्देशानुसार वर्तमान में नगर निगम जोधपुर उत्तर में विभागीय आदेश क्रमांक: 6419 दिनांक: 19.06.2017 द्वारा (दिनांक 07.02.2019 से पूर्व) नियुक्त/कार्यरत निम्नलिखित पैनल अधिवक्ताओं/विधि सलाहकारों को प्रशासनिक कारणों से तुरन्त प्रभाव से हटाया जाता है—

1. श्री एन.डी. निम्बावत
2. श्रीमती आस्था रामदेव
3. श्री विमलेश जोशी
4. श्री दिनेश शर्मा
5. श्री रामदेव जांगीड
6. श्री भारत भूषण शर्मा

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त सभी पैनल अधिवक्ताओं द्वारा संधारित न्यायिक प्रकरणों से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियां वर्तमान में कार्यरत वरिष्ठ एवं अनुभवी पैनल अधिवक्ताओं को हस्तान्तरित करावें। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव:

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)()डीएलबी/2019/5501-5514

दिनांक: 13-4-2022

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर।
5. महापौर/आयुक्त, नगर निगम जोधपुर-उत्तर।
6. संबन्धित अधिवक्ता सर्वश्री एन.डी. निम्बावत, विमलेश जोशी, दिनेश शर्मा, रामदेव जांगीड, भारत भूषण शर्मा, एवं श्रीमती आस्था रामदेव मार्फत नगर निगम जोधपुर-उत्तर।
7. प्रोग्रामर, IT सेल निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी